पुलिस कमीश्नरेट पंचकूला जिला पंचकूला

पंचकूला पुलिस विभाग में 07 विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO)
के पदों के चयन हेतु आवेदन बारे

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विशेष पुलिस अधिकारियों का चयन जैसा कि हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 21 में उल्लेखित है। एक वर्ष की नियत अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर आयुक्तालय पंचकूला में खाली पड़े 07 विशेष पुलिस अधिकारियों के पद भरे जाने हैं। पात्र उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय अपने साथ मूल प्रमाण पत्र और प्रमाणित छायाप्रतियां, जन्मतिथि, योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र तथा चार पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ जिला पुलिस लाईन मौलीनन्द पंचकूला में दिनांक 07.07.2025 को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेंगे। उपरोक्त विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक Central Armed Police Force (CAPF) से सेवानिवृत हुए कर्मचारी, हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल (HSISF/HAP) से बर्खास्त सिपाही व वर्ष 2004 में चयनित हरियाणा सशस्त्र पुलिस के 819 सिपाही को ही निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर लिया जाएगा।

चयन हेतु निम्नलिखित सेवा शर्तें लागू होगी:-

1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि उनकी आयु 25 साल से कम व 50 साल से अधिक न हो और उन्हें अनुशासनहीनता या मेडिकल के आधार पर न हटाया गया हो।
2. इस तरह के पात्र केवल एक वर्ष की अवधि हेतु रु. 20000/- के मासिक मानदेय पर रखे जायेंगे। यह मासिक मानदेय उन्हें नकद न देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
3. चयनित सहायक बल के सदस्यों को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जायेगा, लेकिन यह ध्यान रखा जायेगा कि उनकी तैनाती उनके नजदीकी पुलिस थानें जो कि उनके निवास स्थान के निकट हो, में की जाये। यद्यपि जो इच्छुक होंगे उन्हें अन्य जिला में भी तैनात किया जा सकता है।
4. चयनित सहायक बल के सदस्यों को भर्ती के समय दो जोड़ी वर्दी, एक जोड़ी जूते और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए रु. 3000/- केवल एक बार दिये जायेंगे।
5. चयनित बल के सदस्य जब सरकारी दौरे पर होंगे तो उसके लिए 150 रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता (टी.ए./डी.ए.) दिया जायेगा।
6. उन्हें आकस्मिक अवकाश, जो हरियाणा पुलिस के सिपाही के लिए लागू है, प्रदान किया जाएगा। वह निम्नलिखित अनुग्रह राशि के लिए भी पात्र होंगे।

(क) ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर - 10 लाख रुपये।

(ख) स्थाई विकलांगता पर - 1 लाख से 3 लाख रुपये।

(ग) गंभीर चोट पर - 1 लाख रुपये तक।

7. इन विशेष पुलिस अधिकारियों का भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक मापतोल का आयोजन नहीं होगा।
8. चयन साक्षात्कार पुलिस आयुक्त पंचकूला द्वारा नामित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से नियुक्त किए गए उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार वचनबद्धता व्यक्ति रूप में हस्ताक्षरित की जायेगी।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
10. चयनित विशेष पुलिस अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति में थोड़े समय के लिए हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।
11. चयनित विशेष पुलिस अधिकारियों को एक 15 दिन के कैप्सूल कोर्स, जो कि पुलिस विभाग की महत्वता बताएगा, में भेजा जाएगा। इन्हें गार्ड ड्यूटी, पेट्रोलिंग यातायात, कानून तथा व्यवस्था और पुलिस से संबंधित ड्यूटियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
12. नियुक्ति के बाद महीने में यदि कोई रिक्ति बनती है तो पुलिस उपायुक्त द्वारा समकक्ष प्रक्रिया अपनाते हुए 15 दिन के अंदर भरा जा सकता है।
13. उक्त विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाएं पुलिस उपायुक्त द्वारा एक साल अथवा उससे पहले कभी भी बिना कोई कारण बताए इस आधार पर निरस्त की जा सकती है यदि उनका चाल-चलन तथा व्यवहार असंतोषजनक पाया जाता है अथवा इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो। इन बर्खास्त आदेशों के विरूद्ध किसी भी उच्च अधिकारी अथवा किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई भी अपील नही होगी।
14. इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सेवाएं, सेवाओं के नियमितीकरण हेतु या तदोपरांत किसी भी लाभ के लिए किसी प्रकार के दावे के बगैर अवधि की समाप्ति पर स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी।

(सृष्टि गुप्ता, भा०पु०से०)
पुलिस उपायुक्त
पंचकूला

RO No. 1084/11/3559/2026/35964/19/4

IndiaNewJobs.Com